



उत्तराखण्ड पावर
कारपोरेशन लि०

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

पत्रांक 3895 /निदे०(परि०)/उपाकालि/ M-20

दिनांक : 12/08/2025

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1827/अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/ दिनांक 25.04.2025 के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के अलाके में एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 3889/निदे०(परि०)/उपाकालि/एम-20 दिनांक 12.08.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए अधोनामित अधिकारियों को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में वर्णित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में वर्णित कार्यालय/स्थान पर अग्रिम आदेशों तक तैनाती हेतु आदेशित किया जाता है:-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम/ पदनाम | वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान | नव-तैनाती का कार्यालय/स्थान/ अतिरिक्त कार्य भार |
|----------|-----------------------------------|---|--|
| -01- | -02- | -03- | -04- |
| 1. | इं० अंशुल मदान, सहायक अभियन्ता | उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, सिडकुल(रूद्रपुर)। अतिरिक्त कार्य भार उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर-प्रथम। | उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, सिडकुल(रूद्रपुर)। अतिरिक्त कार्य भार सहायक अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला, रूद्रपुर(विद्युत कार्यशाला खण्ड, हल्द्वानी के अन्तर्गत)। |
| 2. | इं० अनु अरोड़ा, सहायक अभियन्ता | सहायक अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला, रूद्रपुर (विद्युत कार्यशाला खण्ड, हल्द्वानी के अन्तर्गत)। | उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर-प्रथम। |

यह भी आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारियों के नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वे संबंधित स्थानान्तरित अधिकारी को एक दिवस के भीतर कार्यमुक्त करेंगे। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अधिकारी एक दिवस की समाप्ति पर स्वतः ही कार्यमुक्त मान लिये जायेंगे एवं संबंधित नियंत्रक अधिकारी इस संबंध में यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अविलम्ब अधिशासी निदेशक(मा०सं०) कार्यालय के साथ-साथ इस कार्यालय को अनुपालन आख्या(कार्यमुक्त व कार्य भार ग्रहण प्रमाणक) प्रेषित करेंगे। उपर्युक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु केवल यात्रा गमन में लगने वाले वास्तविक समय का उपभोग किया जायेगा तथा शेष अवधि का उपभोग बाद में किया जायेगा।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

पत्रांक 3895 /निदे०(परि०)/उपाकालि/ M-20

तद् दिनांक

निदेशक(परिचालन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि।
2. निदेशक(परियोजना/वित्त), उपाकालि।
3. अधिशासी निदेशक(मानव संसाधन), उपाकालि।
4. मुख्य अभियन्ता(वितरण), उपाकालि, रूद्रपुर क्षेत्र, रूद्रपुर।
5. महाप्रबन्धक(वित्त) वेतन एवं भत्ते, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि विद्युत वितरण मण्डल, रूद्रपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता(सामग्री प्रबन्धन), उपाकालि।
8. अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर-प्रथम।
9. अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत कार्यशाला खण्ड, हल्द्वानी।
10. अधिशासी अभियन्ता(सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
11. सम्बन्धित अधिकारी।

(एम०आर० आर्य)
निदेशक(परिचालन)